अति आवश्यक/पालना सुनिश्चित करें।

।। महानिदेशालय कारागार, राजस्थान जयपुर ।।

क्रमांक : विजाप्र/29481-590 दिनांक : 7/8/09

-: परिपत्र :-

प्रायः ऐसा देखने में आया है कि संबंधित जेल अधीक्षक/उपाधीक्षक उनके अधीन कार्यरत कर्मचारियों के लघु दण्ड विषयक कार्यवाही के प्रकरण भी तैयार कर मुख्यालय स्तर से कार्यवाही करने हेतु भिजवा देतें है जबकि लघु दण्ड विषयक सी.सी.ए. नियम 17 में कार्यवाही कर दण्ड देने के लिए वे स्वयं/कार्यालयाध्यक्ष सक्षम है एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.3(40)गृह-12/कारा/83 दिनांक 30.01.95 के द्वारा भी केन्द्रीय कारागृहों के अधीक्षक को रीजनल लेवल अधिकारी व जिला कारागृहों के अधीक्षक/उपाधीक्षक को जिला स्तरीय अधिकारी घोषित कर उनके प्रत्यक्ष अधीन अधीनस्थ सेवा के सदस्यों की असंचयी प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के दण्ड से दण्ड़ित करने के लिए अधिकृत किया गया है।

अतः विनिर्दिष्ट किया जाता है कि जहां तक संभव हो साधारण सजा के लिए कार्यालयाध्यक्ष अपने स्तर पर ही सी.सी.ए. नियम 17 में कार्यवाही करेगें। आरोप पत्र देते समय यह देखेगें कि क्या आरोपी पूर्व में भी ऐसी नियम विरूद्ध कार्यवाही कर चुका है एवं दण्ड़ित हुआ है, तो उसका भी एक आरोप बनाकर आरोप पत्र में समावेश करेगें। इस आरोप में स्पष्ट आना चाहिए कि उसे पहले कितनी बार उसी प्रकार की गलतियों के लिए सजा दी जा चुकी है, लेकिन सुधार नहीं आया है। दण्डादेश की प्रति मुख्यालय की संस्थापन शाखा व विभागीय जांच शाखा को प्रेषित करेगें।

अगर पुराना रिकार्ड देखने पर प्राधिकृत अनुशासनिक अधिकारी इस नतीजे पर पहुँचता है कि उसे कई बार दण्ड़ित करने पर भी सुधार नही होने तथा पुनः गंभीर दुराचरण करने पर उसे सी.सी.ए. नियम 16 के तहत दण्ड़ित करना वांछित होने पर प्रकरण मुख्यालय भेजेगें। इसके अलावा ऐसे गंभीर आपराधिक प्रकरण जिसमें कार्यालयाध्यक्ष द्वारा वृहद दण्ड विषयक कार्यवाही आवश्यक समझी जावें। उन मामलों को कार्यवाही करने हेतु मुख्यालय को अभिशंसा प्रेषित करें।

वृहत् दण्ड विषयक कार्यवाही के प्रस्ताव भिजवातें समय (1) प्रकरण की विस्तृत प्राथमिक जांच रिपोर्ट (2) कर्मचारी को पूर्व में दिये गये दण्ड का हवाला अगर दण्ड़ित किया है। (3) बनने वाले आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र का प्रारूप जिनमें नियमों का पूर्ण समावेश हो (4) आरोप को सिद्ध करने वाले अभिलेख की प्रमाणित छायाप्रति (5) आरोप को सिद्ध करने वाले गवाहों की सूचि अनिवार्य रूप से भिजवाने का ध्यान रखा जावें, ताकि बार-बार पत्र व्यवहार न करना पड़े।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान जयपुर

P.T.O

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. समस्त प्रभाराधिकारी, केन्द्रीय/जिला कारागृह/बाल बन्दी सुधारगृह, अजमेर/प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
2. मुख्यालय कारागार, जयपुर की समस्त शाखाओं को भेजकर लेख है कि अधीनस्थ कारागृह के किसी कर्मचारी के विरूद्ध यदि मुख्यालय स्तर से सी.सी.ए. नियम 17 में कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाते है, तो प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेख संबंधित जेल अधीक्षक को भिजवाते हुए अपने स्तर पर कार्यवाही कर लिये गए निर्णय से मुख्यालय को अवगत कराने हेतु लिखा जावे तथा इसकी प्रति संबंधित स्थापना शाखा मुख्यालय को देवें।
3. रक्षित पत्रावली।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान जयपुर